भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2649
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अंतर्गत प्रावधानों का सुदृढ़ीकरण

2649. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी अथवा स्वास्थ्य संबंधी गुणों के बारे में खाद्य कारोबार परिचालकों द्वारा पैकेज के अग्र भाग पर किए जाने वाले भ्रामक दावों की ओर ध्यान दिया है;
(ख) क्या सरकार ने भ्रामक अग्र-पैकेज दावों पर रोक लगाने तथा उन पर दंड लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 और अन्य संबंधित विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों को सुदृढ़ किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) दोषी पाए गए खाद्य कारोबार परिचालकों के नाम, उल्लंघनों की प्रकृति तथा लगाए गए दंडों सहित विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध एफएसएसएआई द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक अवधारित करने तथा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात का विनियमन करने का अधिदेश है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी है।

खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) द्वारा भ्रामक दावों को रोकने के लिए एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 अधिसूचित किया है, जो यह अनिवार्य करता है कि:-

- प्रत्येक पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थ पर इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी के साथ लेबल लगाया जाएगा, जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया गया हो।

- जब कोई खाद्य उत्पाद ई-कॉमर्स या किसी अन्य सीधी बिक्री के माध्यम से बेचा जाता है, तो लेबल संबंधी अनिवार्य अपेक्षाओं को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
- पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थ का किसी भी लेबल पर या किसी भी लेबलिंग में इस तरह से वर्णन या प्रस्तुति नहीं की जाएगी जो झूठी, भ्रामक या मिथ्या हो या जो किसी भी मामले में उसके विवरण के बारे में एक गलत धारणा बनाने की संभावना रखती हो;
- उत्पाद के लेबल पर अनिवार्य रूप से कुल वसा, अतिरिक्त शक्कर, कुल शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऊर्जा और सोडियम की मात्रा प्रति 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, या प्रति एकल उपभोग पैक, के साथ-साथ प्रति-सेवा अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) में प्रतिशत योगदान घोषित करना आवश्यक है।

खाद्य पैकेजों संबंधी किए जाने वाले विज्ञापनों एवं दावों के विनियमन हेतु एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 भी अधिसूचित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- विज्ञापन एवं दावे स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को कमतर नहीं आंकेंगे तथा विनियमों के तहत अन्य प्रावधानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले खाद्य उत्पादों के विज्ञापन नहीं किए जाएंगे।
- खाद्य अथवा पेय पदार्थों का विज्ञापन आहार के विकल्प के रूप में बढ़ावा अथवा चित्रित नहीं किया जाएगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बनाए गए अन्य विनियमों में विशेष रूप से इसकी अनुमति न दी गई हो।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 की अनुसूची-V के अनुसार खाद्य लेबलों पर " (प्राकृतिक)", "(ताज़ा)", " (पारंपरिक)" तथा " (मौलिक)" जैसे दावों के उपयोग के लिए विशिष्ट शर्तें अवधारित की गई हैं। ऐसे दावों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उक्त विनियमों में निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।
- किसी भी आहार को "स्वास्थ्यवर्धक " के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा और न ही उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा जिससे यह संकेत मिले कि वह खाद्य स्वयं ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा।
- किसी भी खाद्य के संबंध में रोग, विकार अथवा किसी विशेष शारीरिक स्थिति की रोकथाम, कमी, उपचार या इलाज के लिए उसकी उपयुक्तता संबंधी कोई दावा नहीं किया जाएगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बनाए गए अन्य विनियमों में इसकी विशेष अनुमति न दी गई हो।
- विक्रय हेतु उपलब्ध किसी खाद्य पैकेज के लेबल पर "चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ अथवा स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित" अथवा ऐसे किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा जिससे यह

संकेत मिले कि उक्त खाद्य चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित, निर्धारित या अनुमोदित है अथवा चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत है।

जब निर्धारित मानकों से कोई भी विचलन या खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन (एफएसएसआर) के प्रावधानों का उल्लंघन का पता चलता है, तो एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन न करने वाले एफबीओ के विरुद्ध कड़ी नियामक और दंडात्मक कार्रवाई होती है। जिसके उल्लंघन करने वाले भ्रामक दावों और विज्ञापनों के लिए एफएसएसएआई ने वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान एफबीओ को 87 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें लाइसेंस निलंबन एवं रद्दीकरण, बिक्री पर प्रतिबंध, अननुरूप वाले खाद्य पदार्थों की जब्ती एवं नष्ट करना तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएस), 2006 की धारा IX (अपराध एवं शास्ति) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार न्यायिक कार्रवाई (नागरिक) एवं अभियोजन (आपराधिक) शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, एफएसएसएआई ने एफबीओ को भ्रामक दावों और विज्ञापनों के लिए 87 नोटिस जारी किए हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सभी अननुरूप खाद्य उत्पादों (लेबलिंग दोष/मिथ्या छाप वाले/भ्रामक दावों सहित) के लिए की गई प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अननुरूप खाद्य उत्पादों (लेबलिंग संबंधी त्रुटियों/मिथ्याछाप /भ्रामक दावों सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामलें		आपराधिक मामलें	
			शास्ति सहित अधिनिर्णीत	जुर्माना लगाया (करोड़ रु. में)	दोषसिद्धि की संख्या	जुर्माना लगाया (करोड़ रु. में)
*** 2025-26**	223,808	40023	31878	109.11	1918	5.70
2024-25	170535	34388	30142	35.74	1265	3.03
2023-24	170513	33808	29586	74.12	1161	2.67

*वित्त वर्ष 2025–26 के आंकड़ें अनंतिम है।
